आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

पुनरीक्षण वाद सं0-107/2019

श्री रामजानकी मंदिर एवं ठाकुरजी महाराज.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

कालिका सिंह.....विपक्षी

आदेश

01.04.2024

प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. सं0-9197/2019 में दिनांक 25.04.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर दायर किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नलिखित हैः-

" Learned counsel for the petitioner seeks permission to withdraw this application in order to approach the Commissioner by way of filing revision in the instant case. In the event, revision application is filed by the petitioner before the Commissioner, Saran Division, Chapra who is required to pass appropriate order on the revision application at the earliest preferably within a maximum period of three months from the date of filing of such revision application along with a copy of this order."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि आवेदक द्वारा दिनांक 01.09.2011 को जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग जिला-सिवान के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया गया कि विपक्षी कालिका सिंह एवं अन्य द्वारा रामजानकी मठ की जमीन का जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी-सह-समाहर्ता, सिवान द्वारा उक्त आवेदन को अपर समाहर्त्ता, सिवान एवं अपर समाहर्त्ता द्वारा उक्त आवेदन अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर को मामलें के निष्पादन हेतु अग्रसारित किया गया।

3. उक्त के आलोक में अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर द्वारा वाद सं0-05/2011-12 संस्थित करते हुए मामलें की सुनवाई प्रारंभ की गयी तथा कथित अतिक्रमण के विषय में विपक्षीगण से उनका पक्ष प्राप्त किया गया। वाद की सुनवाई के पश्चात अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर द्वारा दिनांक 16.03.2015 को पारित आदेश में अंकित किया गया है कि,

".....वर्णित जमीन रैयती खाते की है। इस प्रकार बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 2012 की धारा 2(3) के अधीन परिभाषित लोक भूमि के अन्तर्गत उपरोक्त जमीन नहीं आती है। अतः लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत उक्त भूमि पर अतिक्रमणवाद के अधीन उक्त भूमि खाली कराने की अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अतएव, इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।'

4. उक्त के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No. 2118 of 2015 दायर किया गया जिसमें दिनांक 07.08.2015 को पारित आदेश निम्नलिखित हैः-

".....learned counsel appearing for the petitioner submits that the matter has

Scanned with CamScanner

become infructuous as the final order has since been passed in the encroachment proceedings. In view of the submissions made, the writ petition is disposed of having become infructuous."

5. तत्पश्चात आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष नए सिरे से C.W.J.C. No. 9197/2019 दायर किया गया। उक्त वाद की सुनवाई के पश्चात दिनांक 25.04.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर सुनवाई हेतु लाया गया है।

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण को तामिला प्रतिवेदन का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। विपक्षीगण अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद में अपना पक्ष नहीं रखा गया है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि जिला लोक शिकायत निवारण समिति, सिवान के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन को अंचलाधिकारी रघुनाथपुर को मामलें के अंतिम निष्पादन हेतु प्रेषित किया गया था। परंतु अंचलाधिकारी द्वारा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत कागजातों/साक्ष्यों को बिना समुचित रूप से जाँच किए एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत कथन को बिना समुचित साक्ष्य के ही प्रश्नगत भूमि को रैयती खाता का घोषित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि चूँकि अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर द्वारा वाद के तथ्यों पर विचार नहीं करते हुए बिना किसी साक्ष्य के प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीगण के दावा को स्वीकार किया गया है तथा उक्त भूमि पर अतिक्रमण मानने से इंकार किया गया है। जो कि त्रुटिपूर्ण एवं खारिज होने योग्य है।

अंत में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि उपर्युक्त के आलोक में अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाए तथा प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को स्वीकृत किया जाए।

7. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि अपर समाहर्त्ता, सिवान के पत्र सं0-1609/रा0, दिनांक 21.09.2011 द्वारा प्रेषित श्री प्रभुनाथ दास उपाध्याय, मठाधीश राम जानकी मठ के आवेदन पत्र के निष्पादन के क्रम में अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर, सिवान के ज्ञापांक-1001 दिनांक 31.12.2014 द्वारा हल्का कर्मचारी से ग्राम-सलेमपुर, थाना सं0-371, खाता सं0-54 एवं खाता सं0-13 के खेसरा सं0-416, 452, 453, 463 एवं 313 के विषय में राजस्व अभिलेख एवं स्थानीय जाँच के आधार पर प्रतिवेदन की मांग की गयी। हल्का कर्मचारी द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2015 में यह भी प्रतिवेदित किया गया कि खाता सं0-54 एवं खाता सं0-13 के कतिपय रकबा पर निम्नलिखित व्यक्तियों का बिना किसी कागजात के अवैध कब्जा पाया गया है:-

Scanned with CamScanner

नाम/पिता का नाम	खाता सं0	रकबा	खेसरा
1. राजदेव चौहान			
पिता–बनारसी चौहान	54	0–3–0	463
2. लाल बाबु मांझी			
पिता–बाबुराम मांझी	54	0–3–0	463
3. अशोक माली			
पिता–लघुमण माली	54	0–2–0	463
4. वशिष्ठ शर्मा			
पिता–रामपुकार शर्मा	54	0–2–0	463
5. मनोज शर्मा			
पिता–सतन शर्मा	54	0–2–0	463
6. हदीश मियाँ			
पिता–घुमन मियाँ	54	0–1–0	463
7. दिनानाथ सिंह वो0 वृज सिंह,			
पिता–भृगृ सिंह	54	1–0–0	416
8. मंगल सिंह वो0			
श्याम बिहारी सिंह	13	0–6–4	–

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उपर्युक्त सूची के क्र0 सं0–01 पर अंकित श्री राजदेव चौहान, पिता–बनारसी चौहान को माननीय उच्च न्यायालय एवं इस स्तर पर दायर वाद में भी विपक्षी बनाया गया है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में मात्र यह अंकित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है कि उक्त वर्णित भूमि रैयती खाते की है जो **बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 2012 की धारा 2(3)** के अधीन परिभाषित लोक भूमि के अन्तर्गत नहीं आती है।

8. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं अंचाधिकारी, रघुनाथपुर, सिवान के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया। वाद का मुख्य बिन्दु यह है कि श्री रामजानकी मंदिर एवं ठकुर जी मठ के भूमि का अतिक्रमण कतिपय व्यक्तियों द्वारा किए जाने से संबंधित आवेदन के निष्पादन के क्रम में अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर द्वारा मामलें की सुनवाई की गयी है। सुनवाई के क्रम में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रश्नगत खाता सं0–54 एवं खाता सं0–13 के कतिपय भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की सूचना दी गयी परन्तु अंचलाधिकारी द्वारा उक्त के विषय में कोई

Scanned with CamScanner

कार्रवाई किए बिना ही वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी है।

इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में आवेदक का मुख्य पक्ष यह है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा बिना किसी कागजात के आधार पर मठ की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जो हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन में भी स्पष्ट रूप से अंकित है, परंतु उक्त के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया तथा बिना किसी स्पष्ट कारण के वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं प्रश्नगत आदेश के अवलोकन में पाया गया है कि अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर द्वारा मांगे गए प्रतिवेदन के आलोक में हल्का कर्मचारी द्वारा कुल आठ (08) व्यक्तियों द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का उल्लेख करते हुए उसका विवरण उपलब्ध कराया गया है। परंतु अंचलाधिकारी द्वारा उक्त प्रतिवेदन की विवेचना अपने आदेश में नहीं की गयी है तथा यह अंकित किया गया है कि वर्णित भूमि रैयती खाते की है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर द्वारा किन तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुँचा गया है।

अतएव, ऐसी स्थिति में समाहर्त्ता, सिवान को आदेश दिया जाता है कि **The Bihar Land Encroachment Act, 1956 की कंडिका-03 एवं कंडिका-11** के आलोक में उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने का एक अवसर देते हुए, हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन एवं अभिलेखों की जाँच कर यदि आवश्यकता हो तो पुनः इस संबंध में जाँच कर, जाँच प्रतिवेदन के आलोक में एक स्पष्ट एवं सकारण आदेश एक माह के अन्दर पारित करना सुनिश्चित करें।

तदनुसार, प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner